

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँडक) विनियमन 2000 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार दिनांक 04 मार्च 2013 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में सम्पन्न होगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा।

1. अधिमान आधार पर इक्विटी शेयरों का निर्गम

निम्नलिखित पर विचार करना और उचित समझे जाने पर संशोधन सहित या संशोधन के बिना विशेष संकल्प के रूप में पारित करना :

"संकल्प किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में योजना कहा जायेगा) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बँडक) विनियमन 2000 के साथ पठित बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में अधिनियम कहा जायेगा) के प्रावधानों के अनुसरण में तथा यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय रिजर्व बैंक, (आरबीआई), भारत सरकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी), और/अथवा इस सम्बन्ध में अपेक्षित किसी अन्य प्राधिकरण के अनुमोदन, सहमति और स्वीकृति के अधीन तथा निदेशक मंडल द्वारा व्यक्त की गई सहमति के अनुसार इस सम्बन्ध में किन्हीं शर्तों, निबन्धनों और संशोधनों के अधीन ऐसे अनुमोदन देने के लिए एवं सेबी (पूँजी निर्गम और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन 2009 (सेबी आईसीडीआर विनियमन) और भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य सभी संबद्ध प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर निर्धारित विनियमों के अनुसार एवं जिन स्टॉक एक्सचेंजों में बैंक के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, उनके सूचीकरण करारों के अधीन बैंक के शेयरधारकों की सहमति, बैंक के निदेशक मंडल को (जिसे इसके बाद इस संकल्प में निदेशक मंडल कहा गया है, जिसके सम्बन्ध में यह माना जायेगा कि उसमें ऐसी कोई समिति भी शामिल होगी जो इस संकल्प द्वारा प्रदत्त शक्तियों सहित उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए गठित की गई हो व गठित की जानी हो) प्रदान की जाती है कि निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किये जाने वाली ऐसी राशि के नकदी प्रीमियम पर सेबी आईसीडीआर विनियमन के विनियमन संख्या 76(1) के अनुसरण में रु. 10/- के अंकित मूल्य के उतनी संख्या के कुल रुपये 1250 करोड़, तक के इक्विटी शेयर भारत सरकार को अधिमान आधार पर सृजित करें, उनका प्रस्ताव करें, जारी करें एवं आबंटन करें।

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम मूल्य के निर्धारण की संबद्ध तिथि 01.02.2013 है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निर्गम, आबंटन तथा निदेशक मंडल की सहमति के अनुसार शेयरों के सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदन, सहमति, अनुमति और स्वीकृति प्रदान करते समय निदेशक मंडल को यह अधिकार होगा कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उस स्टॉक एक्सचेंज अथवा अन्य उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित अथवा लगाये गये प्रस्तावों के संशोधनों को स्वीकार करें।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प के अनुसरण में अधिमान आधार पर जारी किये जाने वाले एवं आबंटित किए जाने वाले उक्त इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में जारी किए जायेंगे एवं "सेबी आईसीडीआर विनियमन" के अध्याय VII के अंतर्गत अवरुद्धता अवधि की अपेक्षाओं के अधीन होंगे तथा ऐसी घोषणा के समय प्रवृत्त सांविधिक मार्गनिर्देशों के अनुसार बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश सहित यदि घोषित हो, सभी दृष्टियों से समान माने जायेंगे।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि ऐसे सभी कार्य, क्रियाएं, मामले और विचार करें जो अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, उचित और अपेक्षित समझें जिनसे किसी प्रश्न, समस्या अथवा ऐसे संदेह का निराकरण हो सके जो इक्विटी शेयरों के निर्गम से सम्बन्धित हो और साथ ही ऐसे सभी कार्य आदि करें आवश्यक होने वाले सभी दस्तावेजों और विलेखों को अंतिम रूप दें और निष्पादित करें जो उनके पूर्ण विवेक के अनुसार उचित समझे जाने पर अपेक्षित अथवा आवश्यक, उचित एवं वांछित हो और ऐसा करने के लिए उन्हें शेयरधारकों की किसी अन्य सहमति की जरूरत नहीं होगी अथवा अंततः यह प्राधिकार दें कि शेयरधारकों ने इस संकल्प के प्राधिकार द्वारा प्रकट रूप से उसके सम्बन्ध में अपना अनुमोदन दे दिया है।"

"यह भी संकल्प किया जाता है कि निदेशक मंडल को एतद्वारा यह प्राधिकार दिया जाता है कि इस संकल्प में प्रदत्त सभी अथवा कोई एक शक्ति बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक अथवा कार्यपालक निदेशकों अथवा अन्य अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करें जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए वह उचित समझें।"

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16/01/2013

टिप्पणियाँ :

निदेशक मंडल के आदेश से

कृते पंजाब नैशनल बैंक

(के आर कामत)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

1. उपर्युक्त बैठक का नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रॉक्सी फॉर्म तथा उपस्थिति पत्र व प्रवेश पत्र आदि होंगे बैंक के प्रत्येक शेयरधारक को डाक द्वारा भेज दिये जायेंगे। इन्हें बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी किया जा सकता है।

2. बैंक उपस्थिति पत्र व प्रवेश-पत्र तथा सही पहचान के साथ ही बैठक में प्रवेश दिया जायेगा।

3. बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के पात्र शेयरधारक अपने बदले किसी प्रॉक्सी की बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए नियुक्त करने का भी पात्र है तथा उस प्रॉक्सी के लिए बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है।

4. कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी निगमित निकाय जो बैंक के शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में असाधारण बैठक में तब तक ना तो उपस्थित हो सकता है और ना ही वोट दे सकता है, जब तक जिस बैठक में उन्हें विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने का निर्णय लिया गया हो उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित उस निर्णय की सत्यप्रति बैंक के प्रधान कार्यालय को न मिल जाये।

5. प्रॉक्सी फॉर्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में बैठक की तिथि से चार दिन पहले तक अर्थात् बुधवार 27 फरवरी, 2013 को सायं 5.00 बजे तक अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाये।

6. ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ-तिथि अर्थात् 29.01.2013 (मंगलवार) को बैंक के शेयरधारक रजिस्टर में पंजीकृत किया गया है, वहीं बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र होगा।

7. वोटिंग अधिकार

i. अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्स्थानी न्यू बैंक (Corresponding New Bank) का कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 1 प्रतिशत से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता।

ii. विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा।

iii. उपर्युक्त के अध्यक्षीन, विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि अर्थात् 29.01.2013 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, हाथ उठा करके केवल एक वोट देने का अधिकारी होगा और मतदान होने पर अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा।

अतिरिक्त स्टैम्प 21/01/2013

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank will be held on Monday, the 4th March, 2013, at 11.00 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi-110054 to transact the following business:

1. Issue of Equity Shares on preferential basis

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the 'Act') read with The Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970 (hereinafter referred to as the 'Scheme') and Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as the 'Regulations') and subject to the approvals, consents, sanctions, if any, of Reserve Bank of India (RBI), Government of India (GOI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), and / or any other authority as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting such approvals and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank and subject to SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations) and regulations prescribed by RBI and all other relevant authorities from time to time and subject to the Listing Agreements entered into with the Stock Exchanges where the equity shares of the Bank are listed, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank (hereinafter called the "Board" which shall be deemed to include a committee which the Board may have constituted or / may constitute, to exercise its powers including the powers conferred by this resolution) to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of face value of ₹10/- each to GOI for cash at a premium to be determined by the Board in accordance with Regulation 76(1) of SEBI ICDR Regulations, aggregating upto ₹ 1250 crore.

"RESOLVED FURTHER THAT the Relevant Date for determination of the Issue Price is 01.02.2013"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have authority and power to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI / RBI / SEBI / Stock Exchanges where the shares of the Bank are listed or such other appropriate authorities at the time of according / granting their approvals, consents, permissions and sanctions to issue, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT the said equity shares to be issued and allotted on preferential basis in pursuance of this Resolution shall be issued in dematerialized form and shall be subject to lock-in requirements required under Chapter VII of the "SEBI ICDR Regulations" and shall rank *pari passu* in all respects (including dividend declared, if any) with the existing equity shares of the Bank in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to this Resolution, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary, proper and desirable and to settle any question, difficulty or doubt that may arise in regard to the issue of the equity shares and further to do all such acts, deeds, matters and things, finalise and execute all documents and writings as may be necessary, desirable or expedient as it may in its absolute discretion deem fit, proper or desirable without being required to seek any further consent or approval of the shareholders or authorise to the end and intent that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this resolution"

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorised to delegate all or any of the powers herein conferred on it, to the Chairman and Managing Director or Executive Directors or such other officer(s) of the Bank as it may deem fit to give effect to the aforesaid Resolution."

Place: New Delhi

Date: 16/01/2013

NOTES:

- Individual notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc., will be mailed to shareholders of the Bank. The same will also be available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in (Investor Info page).
- Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass with proper identification.
- A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.
- No person shall be entitled to attend or vote at the Extra-ordinary General Meeting as a duly authorised representative of a body corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank.
- The Proxy Form/ Authorised Representative Letter, in order to be effective, must be received by the Bank by the Company Secretary, Share Department, Finance Division, Head Office, 5, Sansad Marg, New Delhi 110 001, not later than four days before the date of the meeting i.e. on or before the closing hours i.e 5.00 p.m. on Wednesday, the 27th February, 2013.
- Shareholders whose names appear in the Register of Shareholders of the Bank on 29.01.2013 (Tuesday) being the Cut-off Date fixed, shall only be entitled to attend and vote at the meeting.
- VOTING RIGHTS**
 - In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of one per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
 - As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting shall be deemed to be the sole holder thereof.
 - Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the Cut-off Date i.e. 29.01.2013 shall have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him/her.

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank
(K. R. Kamath)
Chairman & Managing Director

Business Standard 21/01/2013